भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 970

सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024 / 11 अग्रहायण, 1946 (शक)

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

970. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:
श्री मड्डीला गुरुमूर्ति:
श्री दुरई वाइको:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में निर्वाह मजदूरी प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 2025 तक न्यूनतम मजदूरी से निर्वाह मजदूरी में बदलाव के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त निर्वाह मजदूरी की गणना के लिए एक रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार श्रम कानून उल्लंघन के मामलों में त्वरित शिकायत निवारण के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को व्यापक बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) देश में एक उचित न्यूनतम मजदूरी प्रणाली लाने के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, जिसमें देश में घरेलू श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी शामिल हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान में न्यूनतम मजदूरी के घटक के रूप में जीवन निर्वाह लागत भत्ता हेतु उपबंध किए गए हैं। तदनुसार, केंद्र सरकार महंगाई के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी को संरक्षित करने के लिए औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर से प्रत्येक 6 माह पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर जीवन निर्वाह भत्ता संशोधित करती है, जिसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वी.डी.ए.) कहा जाता है।

जारी...2/-

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है और उन्हें मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत समाहित किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत यथाउपबंधित अनुसूचित नियोजनों में सीमित न्यूनतम मजदूरी की प्रतिबंधात्मक प्रयोज्यता की तुलना में यह संहिता न्यूनतम मजदूरी को सभी नियोजनों में सार्वभौमिक रूप से प्रयोज्य बनती है।

कामगारों की शिकायतों के निवारण के लिए 6 फरवरी, 2019 को समाधान पोर्टल आरंभ किया गया था, जो कामगारों/ कामगारों के आश्रितों/ कामगार समूहों/ ट्रेड यूनियनों/ कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक विवादों/ दावों/ परिवाद और शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है। केंद्रीय बजट 2024-25 में समाधान पोर्टल के पुनरुद्धार की घोषणा की गई है जिसमें तकनीकी उन्नयन भी शामिल है।

सरकार ने श्रम कानून अनुपालन और शिकायत निवारण को कारगर बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) भी शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य श्रम कानून प्रवर्तन में शिकायतों के निवारण में गति, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

*****